न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

सत्र वाद संख्या–146/2026

(C.N.R. UPET010010162026)

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––अभियोजन

बनाम

1. सचिन कुमार पुत्र रामपूत उर्फ रामकिशोर,
2. रामपूत उर्फ रामकिशोर पुत्र मौजीराम,
3. नन्हीलली उर्फ नन्ही देवी पत्नी रामपूत उर्फ रामकिशोर,

निवासीगण ग्राम ओन, थाना बागवाला, जिला एटा।

–––––अभियुक्तगण

मु0 अ0 सं0–226/2025
धारा–85,80(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं
4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–बागवाला, जिला एटा।

निर्णय

1. थाना बागवाला, जिला एटा की पुलिस द्वारा मु0 अ0 सं0 226/2025, धारा–85,80(2) बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में विवेचनोपरांत आरोप–पत्र अभियुक्तगण सचिन कुमार, रामपूत उर्फ रामकिशोर एवं नन्हीलली उर्फ नन्ही देवी के विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामले को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ धारा 230 बी०एन०एस०एस० के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर सत्रवाद सं0 146/2026 के रूप में संस्थित हुआ।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी महेश चन्द्र पुत्र नेकसेलाल, निवासी अहरई विचनपुर, थाना जसरथपुर, जिला एटा द्वारा दिनांक 05.12.2025 को एक टाइपशुदा तहरीर थानाध्यक्ष, थाना बागवाला, जिला एटा को प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसने अपनी पुत्री सरिता उम्र करीब 22 वर्ष की शादी हिन्दू रीति रिवाज से जनपद मुख्यालय एटा में सरकारी विवाह सम्मेलन में सचिन पुत्र रामपूत, निवासी ऑन, थाना बागवाला, जिला एटा के साथ सम्पन्न

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.04.07 15:59:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की थी। तत्पश्चात दिनांक 26.01.2025 को घर पर पुनः दोनों पक्षों की सहमति से सात फेरे डालकर शादी सम्पन्न की थी। पुत्री के पति सचिन, ससुर रामपूत पुत्र नामालूम, सास नन्हींलली पत्नी रामपूत, जेठ–अनूप पुत्र रामपूत, जेठानी रूचि पत्नी अनूप की अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरा करने के लिये एक मोटर साइकिल खरीदकर दी व डेढ लाख रूपये का सोने का सामान एवं अन्य घरेलू समस्त सामान दिया था, परन्तु दिये गये दान दहेज से उपरोक्त ससुरालीजन सन्तुष्ट नही थे। अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रूपये की मांग को लेकर आये दिन मानसिक व शारीरिक उत्पीडन मारपीट करते थे। दिनांक 04.12.2025 को पुत्री का फोन घर पर मौजूद फोन नं0 6399729896 पर करीब 4 बजे शाम आया और बताया कि आज उपरोक्त ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज को लेकर मारपीट की है, थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि पुत्री की मृत्यु हो गयी है। सूचना पाकर वादी व अन्य परिवारीजन मौके पर गये तो देखा कि पुत्री की लाश घर पर बरामदे में रखी थी। घर पर कोई भी ससुरालीजन मौजूद नहीं था। उसकी पुत्री को उपरोक्त सभी ससुरालीजनों ने मिलकर अतिरिक्त दहेज को लेकर हत्या की है। वादी व उसके पुत्र रेनू, पत्नी तारावती ने कई बार पुत्री की ससुराल जाकर समझाने की कोशिश की थी, परन्तु उपरोक्त ससुरालीजन नहीं माने। वादी पुत्री की हत्या की सूचना थाने देने आया है। उसकी पुत्री तीन माह की गर्भावस्था में थी। अतः पुत्री की दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त सभी ससुरालीजनों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी टाइपशुदा तहरीर **प्रदर्श क–01** के आधार पर थाना बागवाला, जिला एटा में मु0 अ 0 सं0 226/2025, धारा 85,80(2) बी०एन०एस० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दिनांक 05.12.2025 को समय 18.28 बजे अभियुक्तगण सचिन, रामपूत, नन्हीलली, अनूप एवं रूचि के विरूद्ध दर्ज किया गया, जिसका इन्द्राज जी0 डी0 संख्या 42 दिनांक 05.12.2025 को समय 18.28 बजे पर किया गया।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा सहित अन्य गवाहान के बयानात दर्ज किये गये। मौके का नक्शा–नजरी तैयार किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण अनूप एवं रूचि की घटना में संलिप्तता नहीं पाये जाने पर उनका नाम विवेचना से पृथक किया गया। तत्पश्चात विवेचक द्वारा सम्यक् विवेचनोपरांत पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्तगण सचिन कुमार, रामपूत उर्फ रामकिशोर एवं नन्हीलली उर्फ नन्ही देवी के विरूद्ध पाये जाने पर आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 85,80(2) बी०एन०एस० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण सचिन कुमार, रामपूत उर्फ रामकिशोर एवं नन्हीलली उर्फ नन्ही देवी न्यायालय उपस्थित आये। उनके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 10.03.2026 द्वारा धारा 85,80(2)/3(5) बी०एन०एस० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क–01, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–02, जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क–03, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–04, पंचायतनामा प्रदर्श क–05, चिठ्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–06, चालान लाश प्रदर्श क 07, फोटो नाश प्रदर्श क–08, नक्शा नजरी प्रदर्श क–09 एवं आरोप–पत्र प्रदर्श क–10 को साबित कराया गया है।

7. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–01 महेश चन्द्र (वादी मुकदमा/मृतका का पिता), पी०डब्लू०–02 तारावती (मृतका की माँ), पी०डब्लू०–03 रेनू सिंह, पी०डब्लू0–04 हेड कॉस्टेवल धर्मेन्द्र कुमार, पी०डब्लू०–05 डॉ० प्रवीन कुमार (शव–विच्छेदनकर्ता चिकित्सक), पी०डब्लू०–06 नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन एवं पी०डब्लू0–07 राजेश सिंह (विवेचक) को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी के मुख्य बयान निम्नवत् हैं:–

9. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०– 01 वादी मुकदमा महेश चन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री सरिता की शादी सरकार की सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत की थी तथा सामाजिक रीति से दिनांक 26.01.2025 को सात फेरे के अनुसार गांव के रीति रिवाज के अनुसार की थी। शादी में उसने सामूहिक योजना के लाभ के अलावा एक मोटरसाईकिल व डेढ़ लाख का सोने का सामान तथा अन्य घरेलू सामान दिया था। दिये गये सामान से उसकी पुत्री सरिता के पति सचिन, ससुर रामपूत, सास नन्हीलली, जेठ अनूप, जेठानी रुचि खुश थे और अतिरिक्त दहेज के लिए मांग नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी पुत्री को तंग व परेशान करते थे। उसकी पुत्री सरिता की अचानक ससुराल में मृत्यु की सूचना उसे दिनांक 04.12.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मिली। सूचना पर वह अपनी पुत्री की ससुराल पहुँचा, वहां पर उसकी पुत्री मृत अवस्था में मिली। पुलिस को किसी ने सूचना दे दी थी। पुलिस उसके पहुँचने से पहले ही पहुँच चुकी थी। पुलिस ने उसकी पुत्री के शव की लिखा–पढ़ी कर शव को सीलकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसकी पुत्री के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। वह दूसरे दिन थाना बागवाला पर पुलिस के बुलाने पर गया था। पुलिस ने एक तहरीर लिखकर उससे दस्तखत कराये थे। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 5अ देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जिस पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कराये थे, इस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। उसकी पुत्री सरिता की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

10. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–02 तारावती** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी पुत्री का नाम सरिता था। उसने अपनी पुत्री सरिता की शादी घटना से करीब एक वर्ष पूर्व सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत की थी। उसके बाद उसने अपने घर से सामान देकर सचिन पुत्र रामपूत निवासी ओन थाना कोतवाली देहात जिला एटा के साथ की थी। शादी में उसने जो सामान दिया था, उससे उसकी पुत्री सरिता के पति सचिन कुमार, सास नन्ही लली उर्फ नन्ही देवी व ससुर रामपूत उर्फ रामकिशोर खुश थे और अतिरिक्त दहेज की मांग उसकी पुत्री सरिता से नहीं करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी पुत्री सरिता को तंग व परेशान करते थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पुत्री सरिता की ससुराल में मृत्यु हो जाने की सूचना फोन द्वारा दी थी। सूचना पर वह अपने परिवार व गाँव वालों के साथ अपनी पुत्री सरिता के ससुराल ओन पहुँची थी। जब वे सब लोग अपनी पुत्री सरिता के ससुराल पहुँचे तो उसकी पुत्री सरिता मृत अवस्था में थी। वहाँ पर किसी के बुलाने पर पुलिस आ गई। पुलिस ने उसकी पुत्री की शव की लिखापढ़ी कर शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसकी पुत्री सरिता के शव का पोस्टमार्टम

हुआ था। वह नहीं बता सकती कि उसकी पुत्री सरिता की मृत्यु कैसे हुई और किसने की। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-03 रेनू सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी बहन सरिता की शादी उसके पिता व माता ने सरकारी योजना सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सचिन पुत्र रामपूत उर्फ रामकिशोर, निवासी ग्राम ऑन थाना बागवाला जिला एटा के साथ की थी तथा सामाजिक रीति से दिनांक 26.01.2025 को सात फेरे के अनुसार अपने घर पर की थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ के अनुसार दान-दहेज दिया था तथा दिये गये दान-दहेज से उसकी बहन सरिता के पति सचिन, सास नन्हींलली, ससुर रामपूत, जेठ अनूप, जेठानी रूचि खुश थे और अतिरिक्त दहेज के लिए मांग करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसकी बहन सरिता को तंग व परेशान करते थे। दिनांक 04.12.2025 को उसकी बहन की ससुराल में मृत्यु की सूचना उसके पिता को किसी ने फोन द्वारा दी। सूचना पर वह अपने परिवार सहित अपनी बहन सरिता की ससुराल गया। वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने उसकी बहन सरिता के शव की लिखा-पढ़ी कर शव को सीलकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसकी बहन की ससुराल में मृत्यु क्यों हुई और कैसे हुई, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-04 हेड कॉस्टेवल धर्मेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.12.2025 को वह थाना बागवाला, एटा पर बतौर सीसी तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा महेशचन्द्र पुत्र नैकसे लाल, निवासी अहरई विचनपुर, थाना जसरथपुर, जनपद एटा एक कम्प्यूटर टाइपशुदा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्ताक्षरित लेकर आया, जिसमें अपनी पुत्री सरिता की दहेज को लेकर हत्या अभियुक्त सचिन आदि पाँच अन्य नफ़र द्वारा किए जाने के संबंध में लाकर दी, जिसके आधार पर उसके द्वारा मुकदमा अ.सं. 226/2025, धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम सचिन आदि के विरुद्ध कायम किया गया, जिसकी चिक रिपोर्ट उसने स्वयं कम्प्यूटर पर किता की और चिक रिपोर्ट की कॉपी निकालकर थाना प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर कराए। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 4अ/1 लगायत 4अ/3 को देखकर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क-02** डाला गया। मुकदमा कायमी का खुलासा जी.डी. रपट नंबर 42 समय 18.28 बजे दिनांक 05.12.2025 में किया। जी.डी. उसके द्वारा कम्प्यूटर पर किता की गयी। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 7अ/1 जी.डी. को देखकर कहा कि यह, वही जी.डी. है, जो उसके द्वारा किता की गई, जिस पर साक्षी ने आज अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क-03** डाला गया। मुकदमा कायमी के पश्चात उसने मुकदमा कायमी की सूचना उचित माध्यम से उच्च अधिकारियों को दी थी। मुकदमा दहेज हत्या होने के कारण विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर, एटा को दी गई। एस.आर. रिपोर्ट उचित माध्यम से भेजी गई। चिक रिपोर्ट व तहरीर उचित माध्यम से न्यायालय भेजी गई। मृतका का पोस्टमार्टम पूर्व में ही कराया चुका था। विवेचक ने उसका बयान लिया, उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बताई।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि उसने मुकदमा उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी ओम प्रकाश के कहने पर दर्ज किया था। वादी स्वयं थाने पर तहरीर लेकर आया था, जो टाइपशुदा थी। जो तहरीर वो लेकर आया था, उसी तहरीर पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसे घटना व घटना स्थल की कोई जानकारी नहीं है। उसे तो जैसी तहरीर प्राप्त हुई, वैसी ही उसने कंप्यूटर पर शब्दशः टाइप कर दी थी। पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूर्व में हो चुकी थी। घटना वाले दिन उसके पास वादी तहरीर लेकर नहीं आया था। उसके पास तहरीर घटना के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही होने के उपरान्त तहरीर लेकर आया था। यह कहना गलत है कि मुकदमा एन्टी टाइम थाने पर दर्ज किया गया हो।

13. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–05 डॉ० प्रवीन कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.12.2025 को वह सी.एम.ओ. एटा के निर्देशानुसार डॉक्टर श्वेता के साथ पैनल के रुप में मोर्चरी, एटा पर आए शवों का विच्छेदन कर रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियुक्त था। उसी दिन एक शव थाना बागवाला से सीलबंद हालत में कांस्टेबल 771 अनुज कुमार व महिला कांस्टेबल 750 अनुराधा मय 08 पुलिस पेपर्स लेकर आए थे। शव की शिनाख्त साथ आए पुलिसकर्मियों ने मृतका सरिता पत्नी सचिन उम्र 20 वर्ष महिला निवासी ग्राम व थाना बागवाला, जिला एटा के रूप में की थी। शव को सीलबंद हालत में उन दोनों की आपसी सहमति से खोला गया था और शव का विच्छेदन कर उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर डॉक्टर श्वेता ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। शव विच्छेदन दिनांक 05.12.2025 को 01.40 पी.एम. से 02.40 पी.एम. तक किया गया था। शव औसत कद काठी का था। शरीर के ऊपरी भाग पर अकड़न मौजूद थी। आँखे बंद थी।

<u>शव पर मृत्यु पूर्व आई चोटेंः</u>

1. लिगेचर मार्क गर्दन पर आढ़ा तिरछा मौजूद था जो 27 x 1.5 से.मी. आकार का था, जो गले की थाएराइड कार्टिलेज के ऊपर था, गर्दन के बायीं तरफ 05 से.मी गैप था। लिगेचर मार्क दायीं तरफ के कान से 06 सेमी. नीचे व ठुड्डी से 06 सेमी. नीचे मौजूद था। गर्दन के पिछले हिस्से पर 10 से.मी. डिफिसिएंट था।
2. लिगेचर मार्क का विच्छेदन करने पर सूखे चमकीले व सफेद ऊतक के बैंड पाये गए

<u>आंतरिक विच्छेदनः</u>

गले की हड्डी बिल्कुल ठीक थी। दोनों फेफड़े कंजस्टिड थे। हृदय का सीधा चेंबर भरा हुआ था तथा बाया चेंबर आधा खाली था। पेट में करीब 250 एम.एल. अधपचा तरल पदार्थ मौजूद था। लिवर, गाल ब्लेडर व प्लीहा कंजस्टिड पाये गये। गर्भाशय में लगभग 6–8 सप्ताह का मृत भ्रूण मौजूद था। मृतका की मृत्यु लटकने से उत्पन्न श्वास रोध से दम घुटने के कारण होना संभव है। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किए जाने से करीब 3/4 दिन पूर्व हुई है। मृतका के शरीर पर कुल 16 वस्तुएं व कपड़े पाये गये थे, जिन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित किया है। मृतका के शरीर पर पाये कपड़े व वस्तुएँ को सील कर मृतका के शव के साथ आए पुलिसकर्मियों को सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर कराए गए। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 13अ/4 लगायत 13अ/6 पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रम संख्या 725/2025 पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की तथा डॉक्टर श्वेता के हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–04** डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि पोस्टमार्टम पैनल द्वारा किया गया। पैनल में वह व डॉ० श्वेता थीं। पोस्टमार्टम उन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। शरीर पर सिर्फ लिगेचर मार्क था और कोई इंजरी नहीं थी, जो सुसाइडल हैंगिग होता है, उसमें अमूमन शरीर पर कोई इंजरी नहीं होती हैं, जैसा कि इस केस में था। जहाँ पर होमीसाइडल हैंगिग होती है वहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रगल के निशान होते है। वह कन्फर्म नहीं कह सकता है कि यह सुसाइडल हैंगिग का केस है, लेकिन शव की हालत यह बताती है कि यह सुसाइडल हैंगिग का केस हो सकता है।

14. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–06 नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.12.2025 को वह तहसील सदर पर बतौर नायब तहसीलदार तैनात था। उसी दिन उसे उप जिलाधिकारी द्वारा कस्बा व थाना बागवाला में मृतका सरिता पत्नी सचिन की आत्महत्या में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई तथा मौके पर पहुँचकर उसे पंचनामे की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार वह कस्बा बागवाला पहुँचा, वहाँ पर पुलिस पार्टी थाना बागवाला पहले से मौजूद थी। पुलिस के साथ उसने घटना स्थल पर मौजूद भीड़ में से पाँच व्यक्तियों को गवाह पंचान नियुक्त कर पंचनामे की कार्यवाही प्रारम्भ की, जिनके नाम महेशचन्द्र पुत्र नैकसे लाल, रमेशचन्द्र पुत्र नैकसे लाल, कबीरदास पुत्र महेशचन्द्र, गौरतन पुत्र रामपाल तथा शिवनन्दन पुत्र श्रीपाल थे। गवाहों की राय से शव की स्थिति, चोटें, कपड़े व शव पर सामान अंकित किया गया। गवाहों ने अपनी राय अपने हस्तलेख में अंकित की कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगने से होना प्रतीत होती है, फिर भी मृतका का पोस्टमार्टम कराये जाने की राय प्रकट की। उसकी राय गवाह पंचान की राय से मेल खाती थी। सही कारण जानने के लिए मृतका के शव के पोस्टमार्टम कराए जाने हेतु एक किटबैग में रखकर सील सर्वे किया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंचनामे की कार्यवाही उसके बोलने पर उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार की गई तथा उसने अपने हस्ताक्षर किए। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 12अ/2 व 12अ/3 पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–05** डाला गया। पंचनामा के साथ ही चिट्ठी सी0एम0ओ0, चालान नाश व फोटो नाश तैयार किए गए, जो पत्रावली में क्रमशः कागज संख्या 12अ/5, 12अ/6, 12अ/8 मौजूद है। इन पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर क्रमशः **प्रदर्श क–06, प्रदर्श क–07, व प्रदर्श क–08** डाला गया। पंचनामा के साथ जो कागज भेजे गए उनका जिक्र पंचनामा में किया है। शव को पंचनामा के सभी दस्तावेजों सहित सील शव को कांस्टेबल अनुज कुमार व महिला कांस्टेबल अनुराधा को सुपुर्द किया गया तथा उनके हस्ताक्षर कराए। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बता दी थी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि पंचायतनामे की संपूर्ण कार्यवाही उसके द्वारा संपादित की गई। उसे एस.डी.एम., एटा के द्वारा फोन आया था, उनके आदेशानुसार उसने पंचायतनामे की कार्यवाही पूर्ण की थी। पंचायतनामे के गवाह उसके द्वारा ही बनाए गए थे। गवाहों की राय में मृतका की मृत्यु फाँसी लगने के कारण हुई थी, जिससे उसकी राय भी मेल खाती थी, परंतु स्पष्ट कारण जानने के लिए उन्होंने पोस्टमार्टम की कार्यवाही को पूर्ण किया था। उसके साथ वहाँ पुलिस बल भी मौजूद था। उसने जो पंचायतनामे की गवाहों के हस्ताक्षर कराये थे, वह उनके हस्तलिखित

बयानों पर ही कराए थे। यह कहना गलत है कि उसने उपरोक्त सभी कार्यवाही पुलिस व भीड़ के दबाव के चलते पूर्ण की हो। यह कहना भी गलत है कि उपरोक्त कार्यवाही के दौरान उसने पंचायतनामों के गवाहों के हस्ताक्षर कोरे कागज पर करा लिए हों। यह कहना भी गलत है कि राय पंचान सुसाइडल हैंगिंग की थी, परंतु उसने उसके बावजूद भी राजनैतिक दबाव के चलते पंचायतनामें की कार्यवाही झूठी की हो।

15. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–07 राजेश सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.12.2025 को क्षेत्राधिकारी नगर के पद पर तैनात था। इसी दिन मुकदमा उपरोक्त की सूचना उसे प्राप्त हुई थी, जिस पर पर्चा नंबर–1 दिनांक 05.12.2025 को किता किया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट कायमी अभियोग, नकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका, बयान लेकर एफ.आई.आर. हेड कांस्टेबल 337 धर्मेन्द्र कुमार अंकित किया गया था तथा प्रभारी निरीक्षक बागवाला को अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु हुकुम तहरीर दी गई थी। पर्चा नंबर–2 दिनांक 06.12.2025 को किता किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सचिन कुमार (पति) पुत्र रामपूत, रामपूत उर्फ रामकिशोर (ससुर) पुत्र मौजीराम निवासी ग्राम ओन थाना बागवाला जनपद एटा की थाना से गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर वह विवेचक थाना बागवाला आकर नकल रपट दाखिला अभियुक्त करने के बाद अभियुक्त सचिन कुमार व अभियुक्त रामपूत उर्फ रामकिशोर का बयान लिया था तथा दोनों अभियुक्तगण का 14 दिवस न्यायिक रिमाण्ड स्वीकृत करने हेतु न्यायालय से निवेदन किया था। पर्चा नंबर–3 दिनांक 08.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें वादी मुकदमा महेश चंद्र पुत्र नैकसे लाल का क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय पर बयान अंकित किया गया था तथा मुकदमा उपरोक्त के घटनास्थल पर पहुँचकर वादी की निशांदेही पर ई–साक्ष्य ऐप के माध्यम से घटना स्थल का निरीक्षण किया था तथा नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो मुताबिक घटना स्थल सही है। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या–8अ पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्श क–09** डाला गया। तत्पश्चात समयी साक्ष्य अंकित किए थे। पर्चा नंबर–4 दिनांक 12.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें नकल मूल पंचायतनामा की गई है। पर्चा नंबर–5 दिनांक 16.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें साक्षी विवेचक को थाना बागवाला से सूचना मिली थी कि मुकदमा उपरोक्त की अभियुक्ता नन्हींलली पत्नी रामपूत उर्फ रामकिशोर निवासी ग्राम ओन थाना बागवाला जनपद एटा की थाना से गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर वह विवेचक थाना बागवाला आकर नकल रपट दाखिला अभियुक्ता करने के बाद अभियुक्ता श्रीमती नन्हींलली उर्फ नन्हींदेवी का बयान अंकित कर न्यायालय से अभियुक्ता का 14 दिवस न्यायिक रिमाण्ड स्वीकृत करने का निवेदन किया था। पर्चा नंबर–6 दिनांक 18.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें मुकदमा उपरोक्त से संबंधित मृतका के परिवारीजन व पंचान गवाह कार्यालय क्षेत्राधिकारी नगर आए थे, तब बयान मृतका माँ श्रीमती तारावती पत्नी महेशचंद्र, मृतका का भाई रेनू पुत्र महेशचन्द्र, कबीरदास पुत्र महेशचन्द्र, मृतका का ताऊ रमेश पुत्र नैकसे लाल, बयान पंचान गवाह शिवनंदन पुत्र श्रीपाल, गौरतन अंकित कर बयान मजिस्ट्रेट/पंचायतनामा मुरत्तिव वाजिद हुसैन नायब तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनाती तहसील सदर जनपद एटा, बयान डॉ० पोस्टमार्टमकर्ता डॉ० श्वेता हाल तैनाती जिला चिकित्सालय, जनपद एटा, डॉ० प्रवीन कुमार हाल तैनाती सी.एच.सी. सकरौली, जिला एटा के बयान अंकित किए गए थे। तत्पश्चात नकल

प्रेषित रिपोर्ट 112 की गई थी व नामित अभियुक्त अनूप के मोबाइल नंबर– 7505137902 की सी.डी.आर. व कैफ आई.डी. प्राप्त करने हेतु सर्विलांस सेल, एटा को प्रेषित की गई थी। पर्चा नंबर–7 दिनांक 19.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें मुकदमा उपरोक्त से संबंधित तीनों अभियुक्तों का 14 दिवस न्यायिक रिमाण्ड स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है। पर्चा नंबर–8 दिनांक 20.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें वह विवेचक घटना स्थल ग्राम ओन थाना बागवाला, जिला एटा आकर बयान स्वतन्त्र गवाह कलेक्टर सिंह पुत्र लेखराज, रामदास पुत्र पुन्नीलाल, सियाराम पुत्र नाथूराम, गंगाप्रसाद पुत्र होरीलाल सर्व निवासी ग्राम ओन थाना बागवाला, जिला एटा के बयान अंकित किए गये हैं। पर्चा नंबर–9 दिनांक 24.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें नकल आख्या प्रभारी निरीक्षक डॉयल 112 अंकित किया गया है। पर्चा नंबर–10 दिनांक 26.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें बयान पीआरबी कर्मचारी कॉ० 73 अखिलेश शर्मा, हो०गा० 841 सुभाषचंद्र के बयान अंकित किए गए हैं। तत्पश्चात नकल शपथपत्र जयराम पुत्र फकीरचंद, बांकेलाल पुत्र सागर, उमेशचंद पुत्र इन्द्रपाल, आदेश कुमार पुत्र मोहर सिंह, श्रीकिशोर पुत्र होरीलाल, लालाराम पुत्र झम्मनलाल सर्व निवासी ग्राम ओन थाना बागवाला, जिला एटा की गई है। पर्चा नंबर–11 दिनांक 28.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें बयान जयराम पुत्र फकीरचंद, बांकेलाल पुत्र सागर, उमेशचंद पुत्र इन्द्रपाल, आदेश कुमार पुत्र मोहर सिंह, श्रीकिशोर पुत्र होरीलाल, लालाराम पुत्र झम्मनलाल सर्व निवासी ग्राम ओन थाना बागवाला, जिला एटा अंकित किया गया है। तमामी विवचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त नामित अनूप (जेठ), रूचि (जेठानी) का नाम गलत पाते हुए विवेचना से पृथक किया गया है। पर्चा नंबर–12 दिनांक 30.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें बयान गिरफ्तारी गवाह ओमवीर सिंह, उपनिरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार तैनाती थाना बागवाला जिला एटा, बयान पंचायतनामा/गिरफ्तारी गवाह उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह, बयान गिरफ्तारी गवाह मुख्य आरक्षी 544 रामकुमार, आरक्षी 1355 ओमवीर सिंह, महिला आरक्षी 317 निधि मलिक हाल तैनाती थाना बागवाला जनपद एटा, बयान गिरफ्तारी/पोस्टमार्टम गवाह महिला आरक्षी 750 अनुराधा व पोस्टमार्टम गवाह आरक्षी 771 अनुज कुमार अंकित किए जाने के बाद बयान नामित आरोपी अनूप (जेठ) पुत्र रामपूत, रूचि पत्नी अनूप (जेठ) के बयान अंकित किए गए हैं। पर्चा नंबर–13 दिनांक 31.12.2025 को किता किया गया था, जिसमें अभी तक की गई विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्तगण सचिन कुमार (पति) पुत्र रामपूत, रामपूत उर्फ रामकिशोर (ससुर) पुत्र मौजीराम, अभियुक्ता नन्हींलली उर्फ नन्हींदेवी (सास) निवासी ग्राम ओन थाना बागवाला जनपद एटा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 80(2), 85 बी0एन0एस0 व 3/4 डी.पी. एक्ट में आरोप पत्र सं०– 234/2025 न्यायालय प्रेषित किये, जो कंप्यूटर प्रारूप पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रसारित है। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या–3 अ/1 लगायत 3अ/9 आरोप पत्र देखकर अपने तथा तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमे की पूरी विवेचना उसके द्वारा ही संपादित की गई थी एवं चार्जसीट भी उसके द्वारा ही न्यायालय में दाखिल की गई थी। उसने इस पूरे मुकदमे की विवेचना दिनांक 05.12.2025 से 31.12.2025 तक की थी। ये मुकदमा कुल 05 लोगों के खिलाफ वादी की तहरीर के

अनुसार पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना जेठ अनूप व जेठानी रूचि की नामजदगी झूठी पायी गयी। शेष तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्षी विवेचक के हुक्म गिरफ्तारी तहरीर के आधार पर थाना बागवाला जनपद एटा की पुलिस द्वारा की गई थी। जिन दो नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी गलत पाई गई थी, उसका आधार स्वतंत्र गवाहों के बयान व मोबाइल नं० के लोकेशन को बनाया गया था। मुकदमा उपरोक्त की घटना स्थल का निरीक्षण मुकदमा वादी महेशचंद्र उपरोक्त की निशांदेही पर साक्षी विवेचक द्वारा मौके पर जाकर की गई थी तथा नक्शा नजरी बनाई गई थी। यह कहना गलत है कि मुकदमा उपरोक्त की सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की गई है। यह कहना भी गलत है कि नक्शा नजरी की कार्यवाही भी मौके पर जाकर न की गई हो। यह कहना भी गलत है कि उपरोक्त मुकदमा राजनैतिक दबाव एवं भीड़ के कारण झूठा दर्ज कर लिया गया हो। यह कहना भी गलत है कि स्वतंत्र गवाहों के बयान भी उसके द्वारा मौके पर जाकर न लिए गए हो और केवल पुलिस की कार्यवाही दिखाने के लिए उपरोक्त मुकदमें में झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो।

16. इस प्रकार अभियोजन की ओर से कुल 7 साक्षी को परीक्षित कराया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

17. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० दर्ज किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी संख्या 01 महेश चन्द्र, अभियोजन साक्षी संख्या 02 तारावती, अभियोजन साक्षी संख्या 03 रेनू सिंह की साक्ष्य के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी संख्या–04 हेड कॉस्टेवल धर्मेन्द्र कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या 06 नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन की साक्ष्य के सम्बन्ध में सारी कार्यवाही झूठी करने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी संख्या 05 डॉ० प्रवीन कुमार की साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि दबाव में रिपोर्ट तैयार की गयी है। अभियोजन साक्षी संख्या 07 विवेचक राजेश सिंह राय की साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्तगण ने कथन किया है कि थाने पर बैठकर सारी कार्यवाही सम्पादित की गयी है। अभियुक्तगण ने मुकदमा झूठा चलना तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है एवं कथन किया है कि अभियुक्त सचिन फरीदाबाद कम्पनी में 10,000/– रुपये प्रतिमाह के वेतन पर नौकरी करता था, मृतका उसके साथ फरीदाबाद में रहने की जिद करती थी, सचिन के मना करने पर उसने नाराज होकर आत्महत्या कर ली।

18. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया।

19. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण मृतका का पति एवं सास–ससुर है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा मृतका से न तो अतिरिक्त दहेज की मॉग की गयी, न ही उसे प्रताड़ित किया गया और न ही उसकी दहेज हत्या कारित की गयी। यह भी तर्क किया गया कि घटना को साबित करने वाले तथ्य के साक्षी के रूप में कुल 03 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, जिनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–04, पी०डब्लू०–05, पी०डब्लू०–06 एवं पी०डब्लू०–07 घटना के पश्चातवर्ती साक्षी हैं,

जिनकी साक्ष्य से औपचारिक रूप से अभियोजन प्रपत्रों को साबित करते हुये घटना के उपरांत जो भी कार्यवाही की गयी, उनको साबित किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के साबित होने के आधार पर अभियोजन कथानक को तब तक विश्वसनीय व साबित नहीं माना जा सकता, जब तक घटना के बावत तथ्य के साक्षी द्वारा युक्तियुक्त रूप से घटना को संदेह से परे साबित नहीं कर दिया जाता है। उक्त आधारों पर बल देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

20. उपरोक्त तर्क के विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया कि वादी पी०डब्लू० 01 महेश चन्द्र ने अपनी पुत्री सरिता की शादी सचिन के साथ दहेज की मांग को पूरा कर की थी, परन्तु दिये गये दान दहेज से पुत्री के ससुरालीजन पति सचिन, ससुर रामपूत, सास नन्हीलली, जेठ अनूप व जेठानी रूचि संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसकी पुत्री को आये दिन मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर मारपीट करते थे। दिनांक 04.12.2025 को पुत्री ने फोन पर बताया कि आज उपरोक्त ससुरालीजन ने अतिरिक्त दहेज को लेकर मारपीट की है, थोड़ी देर बाद सूचना मिली की पुत्री की मृत्यु हो गयी है। उसकी पुत्री को उपरोक्त सभी ससुरालीजन ने मिलकर अतिरिक्त दहेज को लेकर हत्या की है। यद्यपि तथ्य के साक्षी पी०डब्लू० 01 लगायत पी०डब्लू० 03 द्वारा अभियुक्तगण के दबाव में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, किंतु इससे घटना संदिग्ध नहीं हो जाती है। अभियोजन कथानक पूर्णतया सन्देह से परे साबित है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड दिये की याचना की गयी।

21. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व उसके सन्दर्भ में बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व धारा 80(2) बी०एन०एस० के अधीन दण्डनीय अपराध को निर्मित करने वाले आवश्यक तत्वों को उद्धृत करना आवश्यक है। इस धारा के अधीन दहेज हत्या का अपराध निर्मित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिएः–

1. मृत्यु जलने के द्वारा अथवा शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गयी हो अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा घटित हुई हो।
2. मृत्यु विवाह से 7 वर्ष के अन्दर की अवधि में घटित हुई हो।
3. यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के किसी सदस्य द्वारा उस स्त्री के साथ क्रूरता की गयी।
4. ऐसी क्रूरता अथवा तंग किया जाना, दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में की गयी है।

यहॉ पर उभय पक्ष की ओर से धारा 118 एवं 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का उल्लेख करना उचित होगा।

उक्त के अनुसार, ''जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।'' इस प्रकार इस धारा के अधीन दहेज हत्या की उपधारणा केवल तभी की जायगी जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती होंः–

1. पत्नी की मृत्यु के ठीक पहले उसे प्रताड़ित किया गया हो तथा उसके साथ निर्दयता बरती गयी हो।
2. मृत्यु दहेज की मांग के सम्बन्ध में हो।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है, जो बी०एन०एस० की धारा 80(2) से है। दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में उपधारणा तब की जाती है, जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर दे कि मृत्यु से ''ठीक पहले'' पीड़ित स्त्री के साथ क्रूरता की गयी थी या उसे तंग किया गया और यह सब दहेज की मांग को लेकर किया गया था। धारा 80(2) बी०एन०एस० में उल्लिखित मृत्यु से ठीक पूर्व वाक्यांश का अर्थ मृत्यु तथा क्रूरता के बीच में कुछ निकटतम तथा घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। यह एक अपेक्षित कथन है, इसलिए उसका कोई सीधा सटीक सूत्र नहीं बनाया जा सकता है कि कितने समय अन्तराल के कुछ देर पहले माना जाये। यह न्यायालय को प्रत्येक मामले में देखना पड़ेगा। सामान्यतः मृत्यु से ''ठीक पूर्व'' का तात्पर्य है कि प्रश्नगत मृत्यु और उत्पीड़न में अत्यधिक समय का अन्तर न हो। इसी के आलोक में यह देखा जाना है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में मृतका को उसकी मृत्यु से ''ठीक पूर्व'' दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

22. उभय पक्ष के उपरोक्त तर्क के आधार पर देखा जाना है कि क्या मृतका सरिता की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तगण के घर के अन्दर हुई।

23. अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा महेश चन्द्र के द्वारा घटना की तहरीर दिनांक 05.12.2025 को दी गयी है और कथन किया गया है कि उसने अपनी पुत्री सरिता की शादी हिन्दू रीति रिवाज से जनपद मुख्यालय एटा में सरकारी विवाह सम्मेलन में सचिन के साथ सम्पन्न की थी। तत्पश्चात दिनांक 26.01.2025 को घर पर पुनः दोनों पक्षों की सहमति से सात फेरे डालकर शादी सम्पन्न की थी। पुत्री के पति सचिन, ससुर रामपूत पुत्र नामालूम, सास नन्हींलली पत्नी रामपूत, जेठ–अनूप पुत्र रामपूत, जेठानी रूचि पत्नी अनूप की अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरा करने के लिये एक मोटर साइकिल खरीदकर दी व डेढ लाख रूपये का सोने का सामान एवं अन्य घरेलू समस्त सामान दिया था, परन्तु दिये गये दान दहेज से उपरोक्त ससुरालीजन सन्तुष्ट नही थे। अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रूपये की मांग को लेकर आये दिन मानसिक व शारीरिक उत्पीडन मारपीट करते थे। दिनांक 04.12.2025 को पुत्री का फोन घर पर मौजूद फोन नं0 6399729896 पर करीब 4 बजे शाम आया और बताया कि आज उपरोक्त ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज को लेकर मारपीट की है, थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि पुत्री की मृत्यु हो गयी है। सूचना पाकर वादी व अन्य परिवारीजन मौके पर गये तो देखा कि पुत्री की लाश घर पर बरामदे में रखी थी। घर पर कोई भी ससुरालीजन मौजूद नहीं था। उसकी पुत्री को उपरोक्त सभी ससुरालीजनों ने मिलकर अतिरिक्त दहेज को लेकर हत्या की है। वादी व उसके पुत्र रेनू, पत्नी तारावती ने कई बार पुत्री की ससुराल जाकर समझाने की कोशिश की थी, परन्तु उपरोक्त ससुरालीजन नहीं माने। वादी पुत्री की हत्या की सूचना थाने देने आया है। उसकी पुत्री तीन माह की गर्भावस्था में थी। इसी आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ एवं दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण अनूप एवं रूचि की घटना में संलिप्तता नहीं पाये जाने

पर उनका नाम विवेचना से पृथक किया गया एवं अभियुक्तगण सचिन कुमार, रामपूत उर्फ रामकिशोर एवं नन्हीलली उर्फ नन्ही देवी के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

24. तहरीर में वादी ने मृतका सरिता की शादी अभियुक्त सचिन के साथ दिनांक 26.01.2025 को होना बताया है। इसी प्रकार न्यायालय में परीक्षित होते हुए अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा महेश चन्द्र (मृतका का पिता) एवं अभियोजन साक्षी संख्या पी०डब्लू–03 रेनू सिंह ने मृतका सरिता की शादी अभियुक्त सचिन के साथ दिनांक 26.01.2025 को होना बताया है। साथ ही अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–02 तारावती, जो मृतका की माँ है, ने भी मृतका सरिता की शादी अभियुक्त सचिन के साथ घटना से करीब एक वर्ष पूर्व होना बताया है। पत्रावली पर मृतका का कोई विवाह कार्ड उपलब्ध नहीं है। विवेचक द्वारा नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–09** में "एक्स" स्थान पर वह स्थान दर्शाया गया है, जहाँ अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री की हत्या करना बताया गया है। मृतका की शव–विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–04** के अनुसार मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व फाँसी लगने से उत्पन्न श्वॉस रोध से दम घुटने के कारण होना अंकित है। मृतका के पंचायतनामा **प्रदर्श क–05** में भी मृतका की मृत्यु फॉसी लगने से होना अंकित है। इस प्रकार मृतका सरिता का विवाह घटना दिनांक 04.12.2025 से करीब एक वर्ष पूर्व दिनांक 26.01.2025 को होना तथा उसकी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर अभियुक्तगण के घर मृतका की ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में होना प्रमाणित है।

25. अब यह देखा जाना है कि क्या विवाह के बाद से अभियुक्तगण द्वारा मृतका सरिता को प्रताड़ित किया गया और उससे अतिरिक्त दहेज की मॉग की गयी, जिसकी पूर्ति न होने पर उसकी हत्या कारित कर दी गयी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू० 01 महेश चन्द्र, जो कि मृतका के पिता हैं, के द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिस कारण अभियोजन की प्रार्थना पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **दिये गये सामान से उसकी पुत्री सरिता के पति सचिन कुमार, ससुर रामपूत, सास नन्हीलली, जेठ अनूप व जेठानी रूचि खुश थे और अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं करते थे और ना ही अतिरिक्त दहेज के लिये उसकी पुत्री को तंग व परेशान करते थे।** साथ ही अभियोजन की ओर से पी०डब्लू० 02 तारावती, जो मृतका सरिता की माँ है, को परीक्षित कराया गया, जिसके द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिस कारण अभियोजन की प्रार्थना पर उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **शादी में उसने जो सामान दिया था, उससे उसकी पुत्री सरिता के पति सचिन कुमार, सास नन्ही लली उर्फ नन्ही देवी व ससुर रामपूत उर्फ रामकिशोर खुश थे और अतिरिक्त दहेज की मांग उसकी पुत्री सरिता से नहीं करते थे और ना ही अतिरिक्त दहेज के लिये उसकी पुत्री सरिता को तंग व परेशान करते थे।** इसी प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी०डब्लू०–03 रेनू सिंह, जो मृतका का सगा भाई है, ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि **शादी में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान–दहेज दिया था तथा दिये गये दान दहेज से उसकी बहन सरिता के पति सचिन, सास नन्हींलली, ससुर रामपूत, जेठ अनूप व जेठानी रूचि खुश थे और अतिरिक्त दहेज के लिये उसकी बहन सरिता को तंग व परेशान नहीं करते थे।** प्रतिपरीक्षा में उक्त तीनों साक्षीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया

जा सका, जिससे अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन हो रहा हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अभियुक्तगण द्वारा मृतका को विवाह के बाद से अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर प्रताड़ित करने और उसकी पूर्ति न होने पर उसकी दहेज हत्या कारित करना साबित नहीं होता है।

26. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं है कि कथित घटना के पूर्व अथवा मृतका की मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा उस स्त्री के साथ क्रूरता की गयी और उपरोक्त के बावत अभियोजन कोई सुसंगत व विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष नहीं प्रस्तुत कर सका है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की जा सकी है कि दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में ऐसी कोई क्रूरता प्रताड़ना या उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार अभियुक्तगण द्वारा किया गया हो।

27. अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0–04 हैड कॉ० धर्मेन्द्र कुमार चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी0 डी0 लेखक है। इसी क्रम में, पी०डब्लू०–05 डॉ0 प्रवीन कुमार द्वारा मृतका सरिता के शव का विच्छेदन कर शव–विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–04 तैयार की गयी। मृतका की शव–विच्छेदन आख्या के अनुसार उसकी मृत्यु लटकने से उत्पन्न श्वॉसारोध के कारण दम घुटने से हुई है। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–06 नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन पंचायतनामाकर्ता एवं पी०डब्लू०–07 राजेश सिंह इस मामले के विवेचक है, जिनके द्वारा सम्पूर्ण विवेचना कर आरोप–पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित किया गया है। इन चारों साक्षियों ने मिलकर अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को विधिक रूप से साबित किया है, किंतु तथ्य के तीनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और उनकी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर प्रताड़ित कर क्रूरता के अधीन रखा तथा अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न होने पर उसकी दहेज हत्या कारित की गयी, जिस कारण अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण को किसी अपराध में दोषसिद्ध किया जाना समीचीन परिलक्षित नहीं होता है।

28. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचनोपरांत न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि मृतका सरिता को मृत्यु के ठीक पहले प्रताड़ित किया गया हो या उसके साथ निर्दयता बरती गयी हो अथवा मृतका की मृत्यु दहेज की मांग के सम्बन्ध में की गयी हो। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप धारा 85, 80(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है और अभियुक्तगण संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

01. **सत्र परीक्षण संख्या 146/2026, राज्य बनाम सचिन आदि, मु०अ०सं० 226/2025, थाना बागवाला, जिला एटा** में अभियुक्तगण **सचिन कुमार** पुत्र रामपूत उर्फ रामकिशोर, **रामपूत उर्फ रामकिशोर** पुत्र मौजीराम, **नन्हीलली उर्फ नन्ही देवी** पत्नी रामपूत उर्फ रामकिशोर, निवासीगण ग्राम ओन थाना बागवाला जिला एटा को आरोपित आरोप धारा **85, 80(2)/3(5) बी०एन०एस०** एवं **4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश, एटा।

02. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण सचिन कुमार, रामपूत उर्फ रामकिशोर एवं नन्हीलली उर्फ नन्ही देवी जिला कारागार में निरुद्ध है तथा न्यायिक अभिरक्षा में आज न्यायालय में उपस्थित है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त का रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार, एटा भेजा जाये तथा अभियुक्तगण उपरोक्त यदि किसी अन्य प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध न हो, तो उन्हें अविलम्ब जिला कारागार से रिहा किया जाये।

03. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 481 बी०एन०एस०एस० के प्रावधान के अनुपालन में बीस–बीस हजार की धनराशि के दो–दो जमानतें व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र अविलम्ब प्रस्तुत करें। जमानतनामें अन्तर्गत धारा 481 बी०एन०एस०एस० नियमानुसार 06 माह तक वैद्य रहेंगे।

04. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा महेश चन्द्र द्वारा करवायी गयी है, किन्तु न्यायालय में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट से भिन्न कथन किया है और घटना का समर्थन नहीं किया है, जिस कारण अभियोजन की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिससे यह परिलक्षित होता है कि वादी मुकदमा ने जानबूझकर न्यायालय में असत्य कथन किया है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में वादी मुकदमा महेश चन्द्र पुत्र नेकसेलाल, निवासी अहरई विचनपुर, थाना जसरथपुर, जिला एटा के विरुद्ध धारा 383 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के अन्तर्गत असत्य साक्ष्य देने हेतु विधिक कार्यवाही किये जाने के लिये प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर नोटिस जारी हो।

दिनॉकः 07.04.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनॉकः 07.04.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538